राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 283/2016/कोटा
मैसर्स एन.के.प्रोटीन्स प्रा.लि.
कोटा — अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,कोटा
2.सहायक आयुक्त
वृत प्रतिकरापवंचन, कोटा — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल,सदस्य

उपस्थित
श्री यशस्वी शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 18.02.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर,कोटा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या वैट/एसी/कोटा/22.12.2015 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 16.12.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम,वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा सर्वेक्षण किया गया। व्यवहारी कम्पनी द्वारा सोयाबीन एक्सट्रेक्शन प्लान्ट एवं रिफाइनरी द्वारा क्रूड ऑयल की रिफाईनिंग का कार्य किया जाता है । कर निर्धारण अधिकारी फर्म से सम्बन्धित लेखा पुस्तकें मांगे जाने पर व्यवहारी कम्पनी द्वारा बताया गया कि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर संधारित की जाती है एवं व्यवहारी कम्पनी द्वारा किये जाने वाले भुगतान का विवरण चाहने पर भुगतान का विवरण अहमदाबाद स्थित मुख्यालय पर होना बताया गया । व्यवहारी कम्पनी का खरीद विवरण एवं खरीद बिल फाईल जांच हेतु प्रस्तुत की गई साथ ही बताया गया कि मैसर्स नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, कोटा से कुबेर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, रानपुर, कोटा में लीज पर लिये गये गोदाम में सोयाबीन की खरीद का पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाता है,जिसकी हस्ताक्षरित प्रति ली गई। सर्वेक्षण के दौरान जांच हेतु प्राप्त किये गये दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 06.01.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.2001 के लिए सूचना प्राप्त जारी किया । नोटिस की पालना में दिनांक 24.01.2011 को कम्पनी की ओर से श्री पंकज ए.शाह, मैनेजर वैट उपस्थित हुए तथा अनुरोध किया कि

कम्पनी का सर्वर नही चलने के कारण फर्म की लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। कम्पनी व्यवहारी के प्रतिनिधि द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.01.2011 नियत किये जाने का अनुरोध किये जाने पर आगामी सुनवाई तिथि 28.01.2011 नियत की गई। नियत तिथि को श्री भावेश भावसर, मैनेजर टैक्सेशन वैट द्वारा दूरभाष परसमय चाहनेपर आगामी तिथि दिनांक 08.02.2011 नियत की गई। कम्पनी की ओर से समय—समय पर उपस्थित होकर प्रकरण से सम्बन्धित खरीद रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर,आढत खरीद का विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों से सर्वेक्षण के दौरान जांच हेतु लिए गए दस्तावेजों से सत्यापन एवं ऑडिट कार्य किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट समरी असत्यापित प्रपत्रों की सूची तैयार की गई,जिसके अनुंसार फर्म की 32 प्रविष्ठियों का प्रस्तुत रिकार्ड से सत्यापन नहीं होना पाये जाने पर इनका मूल्यांकन तत्समय की सोयाबीन की दर औसतन रू. 2300/—प्रति क्विंटल से भर्ती 91 किलोग्राम के अनुसार की जाकर कीमत रू. 1,39,08,675/—की खरीद असत्यापित पाई गई,जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति योग्य पाये जाने पर करापवंचन का प्रकरण प्रतिस्थापित किया जाकर प्रकरण को निर्णयार्थ किसी अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने बाबत उपायुक्त(प्रशासन) कोटा को निवेदन किया गया। उपायुक्त(प्रशासन) कोटा ने आदेश क्रमांक 1471 दिनांक 31.08.2012 के द्वारा निर्णय हेतु प्रकरण सहायक आयुक्त, वृत—प्रतिकरापवंचन, कोटा स्थानान्तरित कर दी गई।

कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23.03.2015 को दिनांक 31.03.2015 की तारीख पेशी के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवहारी कम्पनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, परन्तु नोटिस की पालना में दिनांक 01.04.2015 को व्यवहारी कम्पनी की ओर से श्री अरूण सारस्वत सहायक प्रबन्धक मार्केटिंग उपस्थित हुए और उन्होंने निवेदन किया कि फर्म की लेखा पुस्तकें अहमदाबाद स्थित मुख्यालय पर होने तथा फर्म मालिक व्यवसाय सम्बन्धी कार्यो में व्यस्त होने के कारण जवाब प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय चाहा गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उसके द्वारा चाहा गया समय प्रदान किया गया और दिनांक 22.09.2015 को जरिए ईमेल सूचना पत्र तामील करवाया गया। नोटिस की पालना में नियत तिथि को व्यवहारी कम्पनी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः दिनांक 26.01.2015 की उपस्थित हेतु जरिए रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस व्यवहारी कम्पनी को बिना तामील कराये गये डाक विभाग द्वारा वापस लौटा दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण अत्यधिक समय से लम्बित है इसलिए उन्होंने व्यवहारी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15.04.2015 को प्रस्तुत किये गये जवाब को अन्तिम जवाब मानते हुए

कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.01.2015 को पारित कर वैट रू. 6,95,434/—,ब्याज रू. 4,24,215/— एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रू 13,90,868/— आरोपित करते हुए कुल रू. 25,10,517/—की मांग सृजित की गई । उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी कम्पनी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसकी अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन से क्षुब्ध होकर व्यवहारी कम्पनी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

व्यवहारी कम्पनी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण के द्वारा पारित आदेश वास्तविक परिस्थिति एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने जरिए ईमेल सूचना पत्र भिजवाने से उसकी तामीली मानते हुए,जिसका व्यवहारी कम्पनी इनकार किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस भिजवाने पर उसको डाक विभाग के प्राधिकारियों ने वापस कार्यालय को लौटा दिया, जैसा कि कर निर्धारण आदेश में अंकित किया है, से स्पष्ट है कि बिना सुनवाई का नोटिस तामील करवाये, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग सृजित की गई,जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मात्र मांग सृजित करने के उद्देश्य से समस्त कार्यवाही की है,जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एंव अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में ईमेल के जरिए सूचना भिजवाने का उल्लेख किया,जिसकी प्राप्ति नहीं होने का व्यवहारी की कम्पनी की ओर से कथन किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में नोटिस तामील कराने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :—

''प्रकरण में व्यवहारी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्व में दिनांक 15.04.2015 को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है फिर भी व्यवहारी कम्पनी को

अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर 16.09.2015 को दिनांक 28.09.2015 की उपस्थित हेतु सूचना पत्र रा.मू.प.क.अ .,2003 की धारा 26, 55, 61 एवं 65 के तहत जारी किया गया। उक्त सूचना पत्र व्यवहारी को जरिए ईमेल दिनांक 22.09.2015 को तामील करवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। नोटिस की पालना में नियत तिथि को व्यवहारी कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः व्यवहारी को सुनवाई का पुनः अवसर देते हुए नोटिस दिनांक 26.10.2015 की उपस्थित हेतु जारी किया गया,जिसे जरिए रजिस्टर्ड ए.डी.व्यवहारी कम्पनी के जयपुर स्थित पते पर भिजवाया गया। उक्त नोटिस डाक विभाग द्वारा व्यवहारी को तामील कराये बिना वापस इस कार्यालय को लौटा दिया गया। डाक विभाग द्वारा लिफाफे पर Reasons for undelivered Left Address अंकित किया गया है। चूँकि प्रकरण अत्यधिक समय से लम्बित है जिसे और आगे लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। अतः व्यवहारी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15.04.2015 को प्रस्तुत जवाब ही उनका अन्तिम जवाब माना गया।"

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उक्त प्रकार अंकित अभ्युक्ति से नोटिस तामील होने का ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी की उक्त अभ्युक्ति से नोटिस तामील पर होने पर सन्देह प्रमाणित है। बहस के दौरान भी व्यवहारी कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया है कि उसे नोटिस तामील कराये बिना मांग सृजित की गई,जिसके सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर उन्होंने भी उस पर ध्यान दिये बिना ही उसकी अपील अस्वीकार की है,जिसमें बल प्रतीत होता है। अतः न्याय हित में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहारी कम्पनी को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर पुनः न्याय संगत आदेश पारित करें । व्यवहारी कम्पनी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 30 के भीतर कर निर्धारण अधिकारी समक्ष मय अभिलेख के उपस्थित होकर कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

निर्णय सुनाया गया।

18.2.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य